2025/34

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2025 प्रा.पत्र GCMS No. 2025/34

डॉ0 आशीष गौतम पिता श्री गोविन्दस्वरूप गौतम उम्र 44 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 386/26 गोतम विला, हेण्डपम्प वाली गली, रामगंज वार्ड नम्बर 13, तहसील अजमेर राजस्थान। मो. 8209456586

.................प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर राजस्थान।

...................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार
2. पैरोकार सरकार श्री कल्पित जैन

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

निर्णय

दिनांक : 17.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी की माता सुधा गौतम पत्नी श्री गोविन्दस्वरूप गौतम ने दिनांक 01.07.2009 को गांव देबारी पटवार हल्का देबारी तह. गिर्वा की खाता संख्या 591 की आराजी संख्या 1955 रकबा 0.9500 हैक्टेयर का 2/74 हिस्सा जरिये रजि0 विक्रय से क्रय किया एवं कब्जा प्राप्त किया था जो राजस्व रेकर्ड में विक्रय अनुसार दर्ज हुआ। श्रीमती सुधा गौतम पत्नी श्री गोविन्दस्वरूप गौतम का स्वर्गवास दिनांक 01.11.2023 को हो गया है उनके वारिस प्रार्थी डॉ0 आशीष (पुत्र) होने से इनके द्वारा पेश किया जा रहा है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत्2074 से 2077 में सुधागौतम के नाम के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में त्रुटि (गलती) से सुषमा गौतम नाम दर्ज हो गया है, जबकि सही नाम सुधागौतम है, अन्य सभी दस्तावेजों में भी नाम सुधा गौतम ही है।

अतः प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित गांव देबारी पटवार हल्का देबारी की आराजी खसरा संख्या 1955 रकबा 0.9500 हैक्टेयर भुमि में प्रार्थी की माता के नाम को सुषमा गौतम के स्थान पर सही सुधागौतम करने का आदेश विपक्षी को दिलावें।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 136 होने से तहसीलदार गिर्वा से रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार गिर्वा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि "राजस्व ग्राम देबारी के आराजी नम्बर 1955 रकबा 0.9500 हैक्टेयर के संबध में राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी की माताजी श्रीमती सुधा गौतम पत्नी गोविन्द स्वरूप गौतम के द्वारा उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2009 को क्रेता इन्दरलाल से क्रय की गई। उक्त विक्रय पत्र में प्रार्थी की माताजी का नाम श्रीमती सुधा गौतम पत्नी गोविन्द स्वरूप गौतम दर्ज है तत्पश्चात नामान्तकरण में भी उक्त ही नाम दर्ज है। किन्तु ऑनलाईन जमाबंदी नकल में प्रार्थी की माताजी का नाम सुषमा गौतम दर्ज हो गया है। प्रार्थी की माताजी का नाम सुषमा गौतम से सुधा गौतम किया जाना उचित है।"

तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर निर्णित किए जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार रिपोर्ट का विस्तृत अवलोकन कर अध्ययन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की माता श्रीमती सुधा गौतम द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2009 इन्दरलाल पिता चिमनलाल चौधरी से 2/74 वॉ हिस्सा क्रय किया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी की माता के नाम नामान्तकरण संख्या 1960 ग्राम पंचायत देबारी के द्वारा स्वीकृत किया गया। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 में सुषमा गौतम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी ऑनलाईन जमाबंदी नकल में प्रार्थी की माताजी का नाम सुषमा गौतम दर्ज हो जाने से सुधा गौतम किया जाना उचित होने का अंकन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर
प्रकरण संख्या 19/2025 प्रा.पत्र
अनवान आशीष गौतम बनाम राजस्थान राज्य
निर्णय प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 LrAct

2025/34

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम देबारी पटवार हल्का देबारी तह. गिर्वा की खाता संख्या 591 की आराजी संख्या 1955 रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि की जमाबंदी में सुषमा गौतम के बजाय सुधा गौतम करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गिर्वा तदअनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

(अवुला सांई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर